न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 49 / 2026

श्री ऋषि सुलतानिया, फ्लेट 002, ए विंग, बिल्डिंग 55, राधिका सी0एच0एस0 लिमिटेड, गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट, तहसील चिडावा, वार्ड नं0 21, जिला झुंझुनूं पिन कोड 400063, मो0न0 7023951335

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 05.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 49 / 2026 पर दिनांक 12.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 374—375 दिनांक 12.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 2026 / 283 दिनांक 20.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री ऋषि सुलतानिया, फ्लेट 002, ए विंग, बिल्डिंग 55, राधिका सी0एच0एस0 लिमिटेड, गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट, तहसील चिडावा, वार्ड नं0 21, जिला झुंझुनूं (राज0) का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 2026 / 83 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा पाठक जिला कलक्टर, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त कम मे प्रभारी अधिकारी, पाठक अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं के पत्र कमांक 394 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र ऑनलाईन आवेदन (संख्या 348164525663809) न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं मे मुकदमा संख्या 464 / 2026 पर दिनांक 04.11.2025 को दर्ज हुआ तथा दिनांक 17.11.1015 को निर्णित किया जा चुका है। बाद निर्णय के पत्रावली जिला अभिलेखागार (कले0) झुंझुनूं मे जमा करवा दी गई है। उक्त अपील संख्या 464 / 2026 निर्णय दिनांक 17.11.2025 की पत्रावली की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को जिला अभिलेखागागार (कले0) झुंझुनूं मे नियमानुसार आवेदन कर तथा निर्धारित शुल्क जमा करवा कर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 2026 / 283 दिनांक 20.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री ऋषि सुलतानिया, फ्लेट 002, ए विंग, बिल्डिंग 55, राधिका सी0एच0एस0 लिमिटेड, गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट, तहसील चिडावा, वार्ड नं0 21, जिला झुंझुनूं (राज0) का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 2026 / 83 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा पाठक जिला कलक्टर,

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त क्रम मे प्रभारी अधिकारी, पाठक अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं के पत्र क्रमांक 394 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र ऑनलाईन आवेदन (संख्या 348164525663809) न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं मे मुकदमा संख्या 464/2026 पर दिनांक 04.11.2025 को दर्ज हुआ तथा दिनांक 17.11.1015 को निर्णित किया जा चुका है। बाद निर्णय के पत्रावली जिला अभिलेखागार (कले0) झुंझुनूं मे जमा करवा दी गई है। उक्त अपील संख्या 464/2026 निर्णय दिनांक 17.11.2025 की पत्रावली की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को जिला अभिलेखागार (कले0) झुंझुनूं मे नियमानुसार आवेदन कर तथा निर्धारित शुल्क जमा करवा कर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं मे नियमानुसार आवेदन कर एवं निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं